संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर उ0प्र0 के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों से उनकी अस्वस्थता की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नांकित निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

1	**वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता**	**(क)** ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जिन्होने संबंधित कला विधा/क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, 60 वर्ष की आयु से अधिक हो गये हो, अपनी अजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं है, तथा जो संस्कृति निदेशालय द्वारा संचालित **'वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना'** में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे हों, अथवा जो संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे हों, को गंभीर बीमारी की चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनके द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष वास्तविक बिल/बाउचर मूलरूप में उपलब्ध कराने पर अधिकतम रू0 1,00,000.00 (रू0 एक लाख मात्र) की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उन्हें अपने जीवनकाल में केवल एक बार वास्तविक बिल/बाउचर सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने के पश्चात अनुमन्य होगी। **(ख)** अस्वस्थता के कारण ऐसे वृद्ध कलाकारों की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों के अनुरोध पर उनके अंतिम संस्कार एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु रू0 5,000.00 (रू0 पाँच हजार मात्र) की राशि जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। **(ग)** इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अस्वस्थता के कारण अस्पताल में भर्ती का प्रमाण प्रस्तुत करने पर चिकित्सा हेतु/मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु ही प्रतिपूर्ति की जाएगी।

योजना के लिये आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित किया जाना आवश्यक है। संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिले के सहायक सूचना निदेशक अथवा सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रभारी/जिलाधिकारी से संस्तुति कराकर संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0 नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2015** होगी। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं होगा।

आवेदन–पत्र का प्रारूप वेबसाइट –ीजजचरूध्ध्नचबनसजनतमण्नचण्दपबण्पद अथवा संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है।

नोटः–(1) विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं0–0522–2286538 पर सम्पर्क कर सकते है।

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0

<u>आवेदन प्रपत्र</u>
संस्कृति विभाग, उ.प्र.
उ.प्र. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों
को अस्वस्थता के कारण आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की योजना

1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम ....
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम ....
3. प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता ....
....
4. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उ.प्र. का निवासी है ....
5. आयु और जन्म दिनांक .... (प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये)
6. उ0प्र0 राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई पेंशन का विवरण निम्नवत् भरा जाए–
   1. राज्य सरकार द्वारा निर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र की संख्या एवं दिनांक
   2. केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र की संख्या एवं दिनांक
   3. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन की राशि
   4. केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन की राशि
   5. राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यांश की राशि
7. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति के है ? (यदि हां तो प्रमाण भी लगायें)
8. चिकित्सा के संबंध में निम्न विवरण संलग्न करें–
   1. अस्पताल जिसमें चिकित्सा की जा रही है/करायी गई है का नाम व पता
   2. अस्पताल जिसमें भर्ती हों के वार्ड इत्यादि का विवरण
   3. चिकित्सक का नाम व विवरण
   4. चिकित्सा हेतु व्यय की गई राशि के बाउचर्स (मूल रूप में) व धनराशि का विवरण

कमांक	बाउचर्स संख्या	बाउचर्स दिनांक	धनराशि

5. संलग्न बाउचर्स सरकारी अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है, अप्रमाणित बाउचर्स स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है । यदि कोई विवरण गलत हों, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, वह भूमि कर के बकाये
की तरह वसूल कर ली जायें।

दिनांक प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

<u>टिप्पणी :– निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें तभी आवेदन पत्र पर विचार होगा :–</u>
1. कलाकार होना सिद्ध करने वाले प्रमाण ।
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र ।
3. जिलाधिकरी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र ।
4. सहायक सूचना निदेशक अथवा सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रभारी/जिलाधिकारी।
5. विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा ते है।

<u>निदेशक, संस्कृति निदेशालय,</u>
<u>उ0प्र0 ।</u>